

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान भैरा राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 44 / 2025

निर्णय दिनांक 20/05/2025.....

भैरा राम पुत्र भजू राम जाति कुम्हार निवासी नेठवा तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट


-::निर्णय::-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा नेठवा पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 174 तादादी 5.2224 हैक्ट., खसरा संख्या 2 तादादी 1.0622 हैक्ट. कुल तादादी 6.2846 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 रोही नेठवा तहसील तारानगर में इंतकाल के समय वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का बोलचाल का नाम भैरा पुत्र भजू दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाई तब प्रार्थी को पता चला कि उक्त रिकॉर्ड में उसका नाम भैरा पुत्र भजू दर्ज है जबकि अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों आदि में भैरा राम पुत्र भजू राम दर्ज है। प्रार्थी ने जमाबंदी में अपना नाम भैरा पुत्र भजू के स्थान पर भैरा राम पुत्र भजू राम करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा नेठवा पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 174 तादादी 5.2224 हैक्ट., खसरा संख्या 2 तादादी 1.0622 हैक्ट. कुल तादादी 6.2846 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम भैरा राम पुत्र भजू राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम भैरा पुत्र भजू व भैरा राम पुत्र भजू राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भैरा राम पुत्र भजू राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भैरा पुत्र भजू अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा नेठवा पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 174 तादादी 5.2224 हैक्ट., खसरा संख्या 2 तादादी 1.0622 हैक्ट. कुल तादादी 6.2846 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भैरा पुत्र भजू **Delete** कर इसके स्थान पर भैरा राम पुत्र भजू राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2025..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)